न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण, जिला ब्यावर

पीठासीन अधिकारी :– ज्योति पटेल, आर.जे.एस

सीआईएस संख्या (CIS No.):– 673/2024

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :– 216/2014, पुलिस थाना–जैतारण।

सी.एन.आर नं. :– RJBE060011632024

अभियोगी :

राजस्थान राज्य।

बनाम

अभियुक्तगण :

01. मनोहरराम पुत्र केवलराम, निवासी कचोलिया नाड़ा स्कूल के पास, निम्बोल, जैतारण, जिला ब्यावर,

02. बलवीर चौहान उर्फ बीरबल पुत्र चम्पालाल, निवासी जसवंताबाद, मेड़ता सिटी, नागौर,

03. सवाईराम पुत्र हापुराम, निवासी चौकीदारों की ढाणी, निम्बोल, जैतारण, जिला ब्यावर,

04. पटेलराम पुत्र श्रीराम बावरी, निवासी बालून्दियों की ढाणी, निम्बोल, जैतारण, जिला ब्यावर।

अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, 1860

उपस्थिति :

1. विद्वान् अभियोजन अधिकारी, – वास्ते राज्य।

2. श्री सुनिल सेन, विद्वान अधिवक्ता– वास्ते अभियुक्तगण।

क्र.सं.	स्तर	दिनाँक
1.	प्रसंज्ञान	26.07.2024
2.	आरोप विरचन	10.12.2024
3.	साक्ष्य अभियोजन समाप्त	16.03.2026
4.	बयान मुलजिम	17.03.2026
5.	बहस अंतिम सुनी	27.04.2026
6.	निर्णय	04.05.2026

निर्णय दिनाँक :04.05.2026

01. इस प्रकरण का उद्भव पुलिस थाना जैतारण की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण मनोहरराम, सवाईराम, बलवीर चौहान उर्फ बीरबल व पटेलराम के विरूद्व आरोप पत्र अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करने पर हुआ।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.05.2024 को प्रार्थी बलराम पुत्र पेमाराम, निवासी सांगलिया पुलिस थाना लोसल जिला सीकर ने पुलिस थाना जैतारण में उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की कि वह ट्रक नं. RJ45GA0462 गाडी ट्रक चलाता है। गाडी मालिक शीतल ट्रासपोर्ट जयपुर के नाम गाडी है, जो गाड़ी वह दिनांक 04.05.2024 को बालोतरा से जयपुर के लिये गाठें 209 नग लेकर करीब शाम को 06 बजे रवाना हुआ था तो वह रात्रि को जोधपुर–जयपुर टोल पर होटल पर गाड़ी खड़ी करके सो गया था वापस उसने सुबह करीब 03.30 बजे गाड़ी देखी रस्सा तिरपाल ठीक था तो वह वहां से गाड़ी लेकर रवाना हुआ जो बिलाड़ा बाईपास पर उसने गाड़ी 04.30 बजे खड़ी करके रस्सा तिरपाल देखा व चाय पीकर गाड़ी लेकर वह वापस करीब 05.40 बजे के आस पास जैतारण बाईपास पर चाय पीने रूका तब देखा कि पीछे से रस्सा तिरपाल फाड़ा हुआ है तो उसने गाड़ी पर चढ़ करके देखा कि अज्ञात चोर करीब 12 कपड़े की गांठे चोरी करके ले गए हैं, जो चोर पृथ्वीपुरा एवं जैतारण के बीच माल गाड़ी से चुरा करके ले गए हैं, उसने सुबह अन्य गाड़ियों वाले से पूछताछ की, परंतु उसे चोरों का कहीं पता नहीं चलने से उसने अपने ट्रक मालिक को सूचना दी थी.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना जैतारण में मुकदमा सं. 216 दिनांक 06.05.2024 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। बाद संपूर्ण अनुसंधान अभियुक्त मनोहरराम, सवाईराम, बलवीर चौहान उर्फ बीरबल व पटेलराम जगदीश के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर, अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व

समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन व समझकर अपराध व आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. **साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन की ओर से गवाहान** पी.डब्ल्यू. 01 महेन्द्र, पी.डब्ल्यू. 02 विकास, पी.डब्ल्यू. 03 मनोहरलाल, पी.डब्ल्यू. 04 रामलाल, पी.डब्ल्यू. 05 देवीलाल, पी.डब्ल्यू. 06 योगेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू. 07 जगवेन्द्र सिंह, **(सहवन से पी.डब्ल्यू. 08, पी.डब्ल्यू. 09, पी.डब्ल्यू. 10, पी.डब्ल्यू. 11 गवाहान मार्क अंकित नहीं हुए)** पी.डब्ल्यू. 12 सत्य कुमार, पी.डब्ल्यू. 13 मनीराम, पी.डब्ल्यू. 14 महिपाल, पी.डब्ल्यू. 15 दीपाराम, पी. डब्ल्यू. 16 अरविन्द के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

05. **अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेज़ी साक्ष्य** में प्रदर्श पी 01 फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त सवाईराम, प्रदर्श पी 02 फर्द जब्ती माल मशरूका जैर हिरासत अभियुक्त मनोहरराम, प्रदर्श पी 03 फर्द जब्ती माल मशरूका रूपये बनिशानदेही जैर हिरासत अभियुक्त पटेलराम, प्रदर्श पी. 04 फर्द जब्ती माल मशरूका रूपये बनिशानदेही जैर हिरासत, प्रदर्श पी 05 फर्द जब्ती पिकअप, प्रदर्श पी 06 लगायत प्रदर्श पी. 08 फर्द निरीक्षण तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी. 09 **(सहवन से मार्क नहीं)**, प्रदर्श पी 10 फर्द नक्शा मौका बरामदगी जब्ती पिकअप, प्रदर्श 11 फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल जब्ती सफेद कट्टा जैर हिरासत सवाईराम, , प्रदर्श पी 12 नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श 13 बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी बलराम, प्रदर्श पी. 13 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त मनोहरराम, (सहवन से समान प्रदर्श डले) प्रदर्श पी. 14 लगायत 16 फर्द निरीक्षण नक्शा मौका बरामदगी स्थल, प्रदर्श पी 16 फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त पटेलराम **(सहवन से समान प्रदर्श का अंकन)** प्रदर्श पी. 17 फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त बलवीर चौहान उर्फ बीरबल, प्रदर्श पी. 18 लगायत प्रदर्श पी. 23 ईतला 27 साक्ष्य अधिनियम जैर हिरासत अभियुक्त मनोहरराम, प्रदर्श पी. 24 लगायत प्रदर्श पी. 32 ईतला 27 साक्ष्य अधिनियम जैर हिरासत अभियुक्त सवाईराम, प्रदर्श पी. 33, 35, 37, 39 ईतला 27 साक्ष्य अधिनियम जैर हिरासत अभियुक्त बलवरी उर्फ बीरबल, प्रदर्श पी. 34, 36, 38 ईतला 27 साक्ष्य अधिनियम जैर हिरासत अभियुक्त पटेलराम, प्रदर्श पी. 40 मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति को प्रदर्शित करवाया।

06. अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहों द्वारा किये गये बयानों को अस्वीकार करते हुए

यह कथन किये हैं कि गवाह झूठ बोलते हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

07. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने कथन किए कि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा चलती ट्रक से त्रिपाल फाड़कर एफआईआर अनुसार 12 कपड़े की गांठे चोरी करना संदेह से परे साबित है। अभियोजन साक्षियों ने अखण्डनीय साक्ष्य दी है जिससे आरोपित अपराध की पुष्टि होती है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

08. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किए कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों की साक्ष्य में गंभीर प्रकृति का विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में चोरी हुई विषयवस्तुओं को व अन्य प्रदर्शित दस्तावेजों को संदेह से परे साबित नहीं किया है। अभियोजन साक्ष्य में परिवादी ने स्वयं को परीक्षित नहीं करवाया है। अभियुक्तगण को रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

09. हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या :–

01. ''क्या दिनांक 05.05.2024 को प्रातः 04.30 से 05.40 ए.एम. के मध्य किसी समय वाके मौजा पृथ्वीपुरा एवं जैतारण के मध्य बाईपास रोड़ पर परिवादी बलराम द्वारा संचालित शीतल ट्रांसपोर्ट जयपुर के ट्रक नंबर आर. जे. 45 जी.ए. 0462 से हाईवे पर चलते हुए ट्रक से तिरपाल फाड़कर करीब 12 कपड़े की गांठे बिना परिवादी की सहमति से बेईमानीपूर्वक आशय से हटाकर चोरी कारित कर भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया?'

02. यदि हाँ तो अभियुक्तगण किस दण्ड/आदेश के दायी होंगे?

10. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य विवेचन करें तो **अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 महेन्द्र** ने मुख्य परीक्षा में दिनांक 02.06.2024 को कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित होना, उस रोज अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त सवाईराम का जरिये फर्द प्रदर्श पी. 01 गिरफ्तार करना बताया लेकिन **जिरह में** गिरफ्तारी के स्थान बाबत याद नहीं होना,

गिरफ्तारी के वक्त कौनसे कपड़े पहन रखे याद नहीं होना इत्यादि बताकर फर्द गिरफ्तारी के क्रम में अनुसंधान को संशयपूर्ण बनाया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 विकास ने मुख्य परीक्षा में दिनांक 06.05.2025 को अभियुक्त सवाईराम से पांच नग थान सफेद कपड़े की जब्ती कर प्रदर्श पी. 02 फर्द जब्ती बनाना व कपड़े की गांठों के बेचान से प्राप्त रूपये बाबत फर्द प्रदर्श पी. 03 व प्रदर्श पी. 04 बनाना बताया। **जिरह में** पी.डब्ल्यू. 02 ने प्रदर्श पी. 02 व प्रदर्श पी. 04 में वर्णित मकान में कोई भी आ जा सकना व मकान के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज शामिल पत्रावली नहीं होना, प्रदर्श पी. 03 व प्रदर्श पी. 04 मे कौन कौन से व कितने नोट थे याद नहीं होना, प्रदर्श पी. 03 में अलग से नमूना शील नहीं होना बताकर प्रदर्श पी. 02 लगायत प्रदर्श पी. 04 की विषयवस्तु बाबत संशय उत्पन्न किया है।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 03 मनोहरलाल ने मुख्य परीक्षा में दिनांक 09.06.2024 को कांस्टेबल के पद पर पुलिस थाना जैतारण में तैनात होना, जिस रोज फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 02, प्रदर्श पी. 05, प्रदर्श पी. 10 व तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी. 06 व प्रदर्श पी. 07 नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी. 11 बनाना बताकर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। **जिरह में** पी.डब्ल्यू. 03 ने प्रदर्श पी. 05 पिकअप के इंजन नंबर, चेसिस नंबर पता नहीं होना, बंपर का कलर सफेद होना, प्रदर्श पी. 02 के अंदर कोई भी आ जा सकना, स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर नहीं होना, प्रदर्श पी. 06, प्रदर्श पी. 07, प्रदर्श पी. 08, प्रदर्श पी. 10, प्रदर्श पी. 11 की दिशाओं, विषयवस्तु मुर्तिब करने की दिनांक याद नहीं होना बताकर उक्त दस्तावेज साक्ष्य व इनकी विषयवस्तु व पुलिस अनुसंधान बाबत विरोधाभास उत्पन्न कर अभियोजन कथानक को संशयपूर्ण बनाया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 04 रामलाल ने मुख्य परीक्षा में दिनांक 30.05.2024 को स्वयं कांस्टेबल रहते नक्शा मौका बरामदगीस्थल पिकअप प्रदर्श पी. 10 बनाना जिस पर अपना हस्ताक्षर होना बताया। **जिरह में** पी.डब्ल्यू. 04 ने फर्द जब्ती में क्या लिखा पता नहीं होना, पिकअप का मालिक कौन था पता नहीं होना बताकर प्रदर्श पी. 10 की विषयवस्तु को ही साबित नहीं किया जो यह दर्शाता है कि पी.डब्ल्यू. 04 के प्रदर्श पी. 10 पर मात्र हस्ताक्षर करवाए गए जिससे कि अनुसंधान कार्यवाही पर संशय उत्पन्न होता है।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 05 देवीलाल भी कांस्टेबल है जिसने मुख्य परीक्षा में दिनांक 30.05.2024 को अभियुक्त मनोहर की निशादेही से घटनास्थल की तस्दीक कर प्रदर्श पी. 11 बनाना बताया व **जिरह में** पी.डब्ल्यू. 05 ने प्रदर्श पी. 11 में

दर्शित घटनास्थल घनी आबादी वाला होना, आमजन का आवागमन होना, स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर नहीं होना इत्यादि बताया जिससे कि यह स्पष्ट है कि मौके पर स्वतंत्र गवाह थे जिन्हें साक्षी बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। जहां तक प्रदर्श पी. 11 की विषयवस्तु बनाने के समय व स्थान बाबत तथ्यों का प्रश्न है तो उक्त बाबत तथ्य खंडन के अभाव में स्पष्ट है लेकिन उक्त तथ्यों बाबत अन्य साक्षियों पर गौर किया जाना है।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 06 योगेन्द्र सिंह प्रथम अनुसंधान अधिकारी है जिसने मुख्य परीक्षा में स्वयं द्वारा किए गए अनुसंधान के क्रम में कथन कर प्रदर्श पी. 12 तैयार करना, प्रार्थी बलराम के बयान दफा 161 सी.आर.पी.सी. प्रदर्श पी. 13 लेना बताया, इस प्रकार पी.डब्ल्यू. 06 के कथनों से प्रदर्श पी. 13 बनाना साबित है लेकिन पी. डब्ल्यू. 06 के उक्त कथन व कार्यवाही अपूर्ण है जिसको अंतिम अनुसंधान अधिकारी साबित करे जिस क्रम में साक्ष्य का विवेचन आगे किया जाएगा।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 07 जगवेन्द्र सिंह पुलिस थाना जैतारण में मालखाना इंचार्ज है जिसने मुख्य परीक्षा में प्रकरण में जब्ती अनुसार पिकअप को जब्त मालखाना कर इंद्राज करना व एक सफेद रंग का सीलशुदा कट्टा मार्क ए व दो सीलशुदा लिफाफे जब्ती अनुसार जमा मालखाना कर इंद्राज करना बताया लेकिन **जिरह में** पी.डब्ल्यू. 07 ने मालखाना से माल जमा करने की दिनांक, पिकअप जब्ती का इंद्राज इत्यादि नहीं होना बताकर संशय उत्पन्न किया जिसे उक्त माल बरामद परीक्षण नहीं होने से बल मिलता है।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 12 सत्यकुमार चोरी के घटनास्थल बाबत प्रदर्श पी. 12 बनाना मुख्य परीक्षा में बताता है लेकिन **जिरह में** प्रदर्श पी. 12 की दिशाओं, विषयवस्तु प्रदर्श पी. 12 में घटनास्थल इत्यादि बाबत याद नहीं होना बताकर प्रदर्श पी. 12 को संदेहपूर्ण बनाया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 13 मनीराम अभियुक्त मनोहर के फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 13 व तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 11 का साक्षी है जिसने **जिरह में** प्रदर्श पी. 11 में क्या लिखा पढ़ी की पता नहीं होना बताकर व प्रदर्श पी. 13 की कार्यवाही बाबत विश्वसनीय कथन नहीं कर संदेह उत्पन्न किया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 14 महिपाल ने मुख्य परीक्षा में प्रदर्श पी. 03, प्रदर्श पी. 04, प्रदर्श पी. 12, प्रदर्श पी. 14, प्रदर्श पी. 15, प्रदर्श पी. 16 के स्वयं के समक्ष अनुसंधान अधिकारी द्वारा बनाया जाना जिन पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया।

जिरह में पी.डब्ल्यू. 14 ने थाने से रवानगी व वापसी का समय बाबत रोजनामचा नहीं होना, प्रदर्श पी. 12 में मार्क ए पर कैमरे लगे होना, प्रदश पी. 04, प्रदर्श पी. 14, प्रदर्श पी. 15 व प्रदर्श पी. 16 में मालिकाना हक बाबत कोई दस्तावेज नहीं लेना न ही तस्दीक करवाना, प्रदर्श पी. 03 व प्रदर्श पी. 04 में कितने रूपये बरामद किए याद नहीं होना, प्रदर्श पी. 14, प्रदर्श पी. 15, प्रदर्श पी. 16 किसकी कलमी है नहीं बता सकना न ही समय बता सकना, प्रदर्श पी. 14 व प्रदर्श पी. 15 की दिशाएं पता नहीं होना, प्रदर्श पी. 14 व प्रदर्श पी. 15 में बरामदगी स्थल कौनसा मार्क अंकित है याद नहीं होना, प्रदर्श पी. 16 की तारीख, समय याद नहीं होना इत्यादि बताकर उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को संदेह से परे साबित नहीं कर मात्र प्रदर्शित करवाया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 15 दीपाराम मात्र आरोप पत्र पेश करने का साक्षी है जिसके कथनों से मात्र आरोप पत्र पेश करना साबित होता है न कि आरोपित अपराध।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 16 अरविंद अंतिम अनुसंधान अधिकारी है जिसने मुख्य परीक्षा में अनुसंधान के दौरान संकलित मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की ताईद कर प्रदर्श पी. 01 लगायत प्रदर्श पी. 08, प्रदर्श पी. 10, प्रदर्श पी. 11, प्रदर्श पी. 14 लगायत प्रदर्श पी. 18, प्रदर्श पी. 40 मार्क अंकित करवाया। **जिरह में** पी.डब्ल्यू. 16 ने प्रदर्श पी. 03, प्रदर्श पी. 01, प्रदर्श पी. 17 बाबत सूचना किसे दी, किस समय दी याद नहीं होना, स्वतंत्र गवाह संतरी के हस्ताक्षर नहीं करवाना, प्रदर्श पी. 18 लगायत प्रदर्श पी. 39 के समय साथ संतरी भी होना जिसके हस्ताक्षर नहीं करवाना, प्रदर्श पी. 05 किस समय व तारीख को बनाया याद नहीं होना बताकर पिकअप के इंजन नंबर, चैसिस नंबर याद नहीं होना, प्रदर्श पी. 02 खुला स्थान होना, जिसके स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज नहीं लेना, प्रदर्श पी. 11, प्रदर्श पी. 17, प्रदर्श पी. 10, प्रदर्श पी. 14, प्रदर्श पी. 15, प्रदर्श पी. 16 में पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण में क्या है याद नहीं होना उक्त प्रदर्शों में स्वतंत्र व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं होना, बरामद कपड़ा कितने मीटर का था यह नहीं अंकित होना, अनुसंधान के क्रम में रोजनामा पत्रावली पर नहीं होना इत्यादि बताया। इस प्रकार पी. डब्ल्यू. 16 जो कि महत्वपूर्ण साक्षी है के कथनों से भी संकलित साक्ष्य, नक्शा, जब्ती, बरामदगी धारा 27 की इत्तला इत्यादि संदेह से परे साबित नहीं होती क्योंकि पी.डब्ल्यू. 16 ने जिरह में प्रदर्शित दस्तावेजात बाबत विश्वसनीय कथन नहीं कर मात्र याद नहीं होना कथित कर इतिश्री कर ली जो कि आरोपित अपराध को साबित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। ऐसे में पी.डब्ल्यू. 16 के कथनों से साथ ही पी.डब्ल्यू. 06 प्रथम अनुसंधान

अधिकारी के कथनों के क्रम में आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता। प्रकरण में परिवादी ने भी स्वयं को परीक्षित नहीं करवाया जिससे भी अभियोजन कथानक पर संशय उत्पन्न होता है।

इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण 01. मनोहरराम पुत्र केवलराम, 02. बलवीर चौहान उर्फ बीरबल पुत्र चम्पालाल, 03. सवाईराम पुत्र हापुराम, 04. पटेलराम पुत्र श्रीराम बावरी के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होने से अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

11. अतः अभियुक्तगण 01. मनोहरराम पुत्र केवलराम, निवासी कचोलिया नाड़ा स्कूल के पास, निम्बोल, जैतारण, जिला ब्यावर, 02. बलवीर चौहान उर्फ बीरबल पुत्र चम्पालाल, निवासी जसवंताबाद, मेड़ता सिटी, नागौर, 03. सवाईराम पुत्र हापुराम, निवासी चौकीदारों की ढाणी, निम्बोल, जैतारण, जिला ब्यावर, 04. पटेलराम पुत्र श्रीराम बावरी, निवासी बालून्दियों की ढाणी, निम्बोल, जैतारण, जिला ब्यावर को अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं. के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण की पूर्व नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

12. अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि वे धारा 437–A दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 20,000/– रुपये का जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका इस आशय का पेश करें कि वे इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएंगें।

(ज्योति पटेल)

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैतारण, जिला ब्यावर

13. निर्णय आज दिनाँक **04.05.2026** को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन, सुनाया गया।

(ज्योति पटेल)

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैतारण, जिला ब्यावर